उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
सख्या– / XVIII(1)/2023
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला देहरादून में **"सदर तहसील"** मुख्यालय देहरादून के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर **"मसूरी"** ज्ञात नाम से एक नई तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील देहरादून की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित तहसील मसूरी में सम्मिलित तहसील देहरादून के ग्रामों की सूची

क्र0सं0	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	क्यारकुली भट्टा	क्यारकुली भट्टा
2.	पुनकलगांव	
3.	झड़ीपानी	
4.	रिखौली	रिखौली
5.	भितरली	
6.	सींगली	
7.	कुठालगांव	जाखन
8.	मकड़ेती	
9.	जौहड़ी	जौहड़ी
10.	सिल्ला	सिल्ला
11.	नालीकला	
12.	गढ़ बुरांशखण्डा	
13.	चलचला	

सरौना
चामासारी

14.	सरौना
15.	चामासारी
16.	मोटीधार

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)
सचिव

संख्या– /XVIII(1)/2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)
सचिव

संख्या– 384(2)/XVIII(1)/2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव